

**को समाप्त तिमाही का अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम**

(रु. लाख में)

	स्टैंडएलॉन				समाकित			
	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
	30.6.2019	30.6.2018	31.3.2019	30.6.2019	31.3.2019	30.6.2018	31.03.2019	
	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	अनंकेक्षित	
	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	624.01	582.02	469.06	2074.83	626.56	586.24	466.89	
	(1333.37)	(1266.15)	(1473.23)	(5598.79)	(1348.21)	(1268.27)	(1467.63)	
	(1333.37)	(1337.23)	(800.61)	(3592.97)	(1348.21)	(1339.35)	(795.01)	
	(0.84)	(4.68)	(0.68)	(3.36)	(1.71)	(5.74)	(1.49)	
	(1334.21)	(1341.91)	(801.29)	(3596.33)	(1349.92)	(1345.09)	(796.50)	
	एन/ए	एन/ए	एन/ए	19827.49	एन/ए	एन/ए	एन/ए	
	18619.50	18619.50	18619.50	18619.50	18619.50	18619.50	18619.50	
हिन आरक्षित								
	(0.72)	(0.72)	(0.43)	(1.93)	(0.72)	(0.72)	(0.43)	
	(0.72)	(0.72)	(0.43)	(1.93)	(0.72)	(0.72)	(0.43)	

9 अगस्त, 2019 को आवेक्षित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये। कम्पनी (वार्षिक लेखा मानक) संशोधन नियमावली, 2019 के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्रवाई मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित 1 तदनुसार, 30 जून, 2018 तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही तथा 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े के लिये लाभ तथा आय प्रति शेयर पर कोई भीतिक प्रभाव नहीं पड़ा है। तथा रिवायत अनुबंध को रद्द करने के लिये) पर अपने फैसले तिथि 26 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा विधि प्रथाओं को गैर-प्रचलनात्मक ठहराते हुए उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण पर रोक लगाने का निर्देश दिया था लेकिन परिणामस्वरूप नोएडा-दिल्ली टोल रोड के उपयोगकर्ताओं से उपयोगकर्ता शुल्क का संग्रहण 26 अक्टूबर, 2016 से निलम्बित रूप से भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दाखिल किया गया है। उच्च न्यायालय ने अंतरिम स्थगन से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी की सहायता मांगी कि क्या रिवायत द्वारा वसूल कर ली गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। 14 सितम्बर, 2018 को अपनी कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में रखी जाये। लम्बे अर्थात् भी लम्बित है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के साथ पठित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रिवायत अनुबंध के अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किया ताकि उसे उसी रूप में अधिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हैसियत में चुंकि, नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएडा के पास विवाचन की एक सूचना भेजी है। नोएडा दोनों ने अपने दाये तथा प्रति दाये जमा किये हैं। फिर, नोएडा विवाचन कार्यवाही की मन्टेननेंस रिपोर्ट पर धारा 16 के अंतर्गत 018 द्वारा विवाचन अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया।

तीने देने के लिये नोएडा आर्बीट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, 1961 की धारा 34 के अंतर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन जनवरी, 2019 को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा कर दिया गया। विवाचन कार्यवाही पर स्थगन लगाने के लिये नोएडा ने आवेदन दाखिल किया है। 12 अप्रैल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विवाचन कार्यवाही पर स्थगन लगाने का निर्देश दिया (जो से संबंधित) के प्रवधानों पर निदेशक मंडल के विश्वास के आधार पर कम्पनी अश्वस्थ है कि अग्रत्यक्ष तथा अन्य परिस्थितियों

प्राप्त किया तथा सीआईटी (ए) के आदेश के अनुपालन में एओ ने सीआईटी (ए) के अपीलीय आदेशों को प्रभावो बनाने के लिये मांग की थी परित किया तथा करों की मांग में रु. 10,899.30 करोड़ की वृद्धि कर दी। मांग में इस वृद्धि का प्राथमिक कारण भूमि आईटीएटी) में स्थगन आवेदन के साथ एक अपील दाखिल किया। आईटीएटी द्वारा 19 सितम्बर, 2018, 2 जनवरी, 2019 तथा 6 देश तिथि 15 अक्टूबर, 2018 के आधार पर आईटीएटी ने आईएलएंड एफएस के साथ ही सब एनटीबीसीएल सहित उसकी समूह म की स्वीकृति देते हुए यथा स्थिति रखने के निर्देश के साथ मामले को अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया।

06-7 से 2014-15 के लिये दंड आदेश पारित किया तथा उसके आधार पर गणना अधिकारी, दिल्ली ने दिसम्बर, 2018 के दौरान 11, 2019 को आईटीएटी में एक अपील दाखिल की है। इस मामले पर 29 मार्च, 2019 तथा 03 मई, 2019 को आईटीएटी द्वारा 11 के साथ अनिश्चित काल के लिये मामले को स्थगित कर दिया।

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से प्रतिभूत सावधि ऋण ("सुविधा") के लिए मासिक व्याज तथा तिमाही पुनर्भुगतान का भुगतान करोड़ अर्थात् व्याज के लिए रु. 6.51 करोड़ तथा मूलधन पुनर्भुगतान के लिए शेष राशि रु. 45 करोड़ है। कंपनी ने लोन रिफॉल्ट 7 सितम्बर, 2018 सहित आईसीआईसीआई बैंक से कई सूचनाएं प्राप्त की हैं।

तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर लॉजिंग एंड फाइनेंसियल सर्विसेस (आईएल एंड एफएस) द्वारा दाखिल एक अपील में राष्ट्रीय कंपनी विधि ने एक अंतरिम आदेश पारित किया है जिसमें एनटीबीसीएल सहित आईएल एंड एफएस के साथ ही साथ उसके ग्रुप की कंपनियों वीक्यूटी डी है- आईएल एंड एफएस ग्रुप कंपनी भी इस आदेश के अंतर्गत शामिल हैं।

ट सर्व किया गया क्योंकि डीएनडी फाईवै के नोएडा साइड में विज्ञापन से राजस्व के संदर्भ में कंपनी से रु. 3.69 करोड़ की मांग रखने का अनुरोध किया क्योंकि नोएडा द्वारा इस मामले को विवाचन में दिया गया है तथा इतना ही नहीं एनसीएलएटी आदेश तिथि ण कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

स शुल्क के एरिअर के लिये रु. 2.34 करोड़ तथा रु. 2.42 करोड़ की अतिरिक्त मांग प्राप्त की। कम्पनी ने नोएडा से इस मांग को नोएडा द्वारा आर्बीट्रेशन में भेजा गया है।

र जानकारी का विवरण लागू नहीं है। वर्ष तथा 31 दिसम्बर, 2018 तक तिथि तक वर्ष के अनंकेक्षित आंकड़े के संदर्भ में अंकेक्षित आंकड़ों के बीच संतुलक

वर्षांकृत किए गए हैं। नू, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है कि एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.ntbc.com, www.nseindia.com

निदेशक मंडल के लिए तथा उसकी ओर से निदेशक

कुन्ते, एन.एम. राईजी एंड क. चार्टर्ड एकाउंटन्ट्स (पंजी. सं. 108296W) विनय डी. बालसे पार्टनर (ए.नं. 039434)

उसके निदेशक श्री धनेश कालरा के माध्यम से हैं, किरण रैल्वे प्राइवेट लिमिटेड के स्वामित्व में तिथि युनिवर्सिटी, मंझवली रोड, ट्रांस कैनाल, मौना कनवारा, टिगांव, फरीदाबाद, हरियाणा के निकट स्थित भूमि तथा भवन भाग 5 कनाल 13 मरला अर्थात् 31415 वर्ग वार्ड्स जो खेत नं. 1, रक्टर नं. 21, किल्ला नं. 25/1/2 (2-19), 25/2/2 (2-14) का भाग है, का सभी भाग तथा हिस्सा। सम्पत्ति की चौकटी: उबर: सड़क दक्षिण: अन्य निदेशक का अन्य खाली प्लॉट पूर्व: कॉमन फेसज परिवहन: खाली प्लॉट तिथि: 6.8.2019 स्थान: गुरुग्राम प्राधिकृत अधिकारी सिद्धिकेट चौक

**KHANDELWAL EXTRACTIONS LIMITED**  
CIN: L24241UP1981PLC005282  
REGD. OFFICE: 51/47 NAYAGANJ, KANPUR - 208 001

**EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2019** (Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	3 Months ended 30.06.2019 (Unaudited)	Year ended 31.03.2019 (Audited)	Corresponding 3 Months ended 30.06.2018 (Unaudited)
1.	Total income from operations	-	537.17	91.81
2.	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(13.14)	(50.18)	(22.64)
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(13.14)	(50.18)	(22.64)
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(13.14)	(35.37)	(22.64)
5.	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	(13.14)	(35.37)	(22.64)
6.	Paid-up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- per share)	85.01	85.01	85.01
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	159.45	-
8.	Basic & Diluted Earnings per share (of Rs. 10/- each) (For continuing and discontinuing operations) (Not Annualised) (in Rs.)	-	(4.16)	-

**Note:**  
1. Due to seasonal nature of business the tax provision is considered at the year end, hence profit/loss figures shown above are before tax and EPS also not calculated.  
2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website: www.bseindia.com and on the Company's website: www.khandelwalextractions.com  
For and on behalf of the Board of Directors  
Dinesh Khandelwal  
Director (Finance & CFO)  
DIN: 00161831

Place: KANPUR  
Date: 10.08.2019

**जेडीएस फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड**  
CIN: L65999DL1984PLC18035  
पंजीकृत कार्यालय: 307, तुसा टावर, आजादपुर, दिल्ली - 110033  
ई-मेल: info@jdsfinance.in, वेबसाइट: www.jdsfinance.in  
फोन: 011-40424242; फैक्स: 011-40424200

30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार (रु. लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त तिमाही	समाप्त वर्ष
		30 जून, 2019	30 जून, 2018	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2019
1.	पॉलिसी से कुल आय	6.57	15.52	22.65	80.87
2.	अधिक के लिए बुद्ध लक्ष्य (एनई) कर, प्रिजिट एवं/अथवा असाधारण मूल्य से शुद्ध	(2.90)	1.57	6.56	8.51
3.	कर से पूर्व अधिक के लिए बुद्ध लक्ष्य (एनई) कर, प्रिजिट एवं/अथवा असाधारण मूल्य से शुद्ध	(2.90)	1.57	6.56	8.51
4.	अधिक के लिए बुद्ध लक्ष्य (एनई) कर, प्रिजिट एवं/अथवा असाधारण मूल्य से शुद्ध	(2.90)	1.09	5.44	6.88
5.	अधिक के लिए कुल शुद्ध आय (अधिक के लिए कर के बाद) एवं अन्य व्यवसायिक आय (कर के बाद से शुद्ध)	(2.90)	1.09	5.44	6.88
6.	डिविडेंड से रकम मुंबी	573.50	573.50	573.50	573.50
7.	अन्य (कुम्भकन अर्थात् के अतिरिक्त आय)	11.51	-	14.41	14.41
8.	जमा प्रती रकम (रु. 10/- की भा) (यदि तथा अन्य उपायों के लिए)	(0.05)	0.02	0.10	0.12
	क) मूल	(0.05)	0.02	0.10	0.12
	ख) अंतर	(0.05)	0.02	0.10	0.12

**टिप्पणी:**  
1. उपरोक्त विवरण वेबी (सूचीबद्ध) विवरण तथा उत्पादन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्थगन एक्सचेंज में दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों का संतुलित विवरण प्रारूप का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संतुलित प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.nseindia.com) तथा कर संबंधित कम्पनी की वेबसाइट http://jdsfinance.in पर भी उपलब्ध है।  
2. 30 जून, 2019 को समाप्त तिमाही के उपरोक्त कर की ऑडिट कम्पटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 9 अगस्त, 2019 को आवेक्षित उनको बैठक में निदेशक मंडल द्वारा बाद में उसे अनुमोदित किये गये।  
बोर्ड के अध्यक्ष से जेडीएस फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड के लिए हस्ता./- विदेशीका कुलकर्णी उग्रम निदेशक DIN: 07641361 तिथि: 09.08.2019 तिथि: दिल्ली

